न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. सत्यवीर यादव,
आर.ए.एस

प्रार्थना–पत्र संख्या :– 15/2014

1. रामजीलाल पुत्र सोहनलाल उम्र 39 वर्ष
2. मनोज पुत्र प्रभुदयाल उम्र 24 वर्ष
3. विजय लाल पुत्र नारायणलाल उम्र 60 वर्ष
4. मूलचन्द पुत्र सोहनलाल उम्र 41 वर्ष
   जाति बलाई निवासी कमला कॉलोनी नीझर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
5. भंवरलाल पुत्र सोहनलाल उम्र 60 वर्ष
6. रामकिशोर पुत्र नन्दलाल उम्र 36 वर्ष
7. मूलचन्द पुत्र सुरजमल उम्र 35 वर्ष
   जाति बलाई निवासी कमला कॉलोनी नीझर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
8. मुरारीलाल पुत्र सुवालाल जाति बावरिया उम्र 60 वर्ष
9. देवी सहाय पुत्र मुरारीलाल जाति बावरिया
10. सीताराम पुत्र मुरारीलाल
11. मुकेश पुत्र मुरारीलाल
    जाति बावरिया निवासी ग्राम निझर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

प्रार्थीगण्

बनाम

1. पुष्पा देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण
2. अशोक पुत्र लक्ष्मीनारायण
3. हेमराज पुत्र लक्ष्मीनारायण
4. जितेन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण
5. मीरा देवी पुत्री लक्ष्मीनारायण
6. रजनी देवी पुत्री लक्ष्मीनारायण
7. दीपा देवी पुत्री लक्ष्मीनारायण
8. कृपा देवी पुत्री लक्ष्मीनारायण
9. रिंकू देवी पुत्री लक्ष्मीनारायण
   जाति दर्जी निवासी ग्राम निझर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
11. उप–पंजीयक अधिकारी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

अप्रार्थीगण्

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि आवंटन नियम 1970

निर्णय *दिनांक* 24.01–2020

प्रार्थीगण् द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भूमि आवंटन नियम 1970 के विरूद्व प्रार्थीगण द्वारा पेश किया है, जिसके सारगर्भित तथ्य निम्न भांति पेश किये हैं :–

1. यह है कि आराजी ख.नं. 666/1 रकबा 8 बीघा ग्राम गोविन्दपुरा धबाई तहसील शाहपुरा जिला जयपुर जिसके हाल सैटलमैन्ट कार्यवाही में हाल ख.नं. 1437/1.22 है, 1623/1.06 है. कुल किता 2 रकबा 2.28 है. निर्धारित किये है । नवीन राजस्व ग्राम नीझर तहसील शाहपुरा स्थति है।
2. यह है कि उपरोक्त आराजी पर अप्रार्थीगण वे उनके पिता व पति का कभी कब्जा नहीं रहा है। अप्रार्थीगण का पति व पिता लक्ष्मीनारायण एक चालाक किस्म का राजनैतिक एवं

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner

पहुचवाला व्यक्ति था जिसने तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलकर बिना किसी अधिकार के साबित आराजी ख.नं. 666 वाके ग्राम गोविन्दपुरा धाबाई की 8 बीघा भूमि को दिनांक 28/01/79 को आवंटन कराली जबकि उसका व उसके वारिसान का कभी कब्जा नहीं रहा है न ही वर्तमान में है। गलत आवंटन के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 द्वारा हाल खसरा नम्बर 1437/1.22 है0 सर्म्पूण व 1623/1.02 में से 0.80 है0 कुल किता 2 रकबा 2.02 है0 ग्राम नीझर तहसील शाहपुरा का गैर खातेदारी नामान्तरकरण संख्या 241 दिनांक 10/4/2013 अपने नाम करवा लिया जो गलत है।

3. यह है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 666 वाके ग्राम गोविन्दपुरा धाबाई में प्रार्थीगण के पूर्वज काफी समय से अपने खाम घर झोपडी बनाकर निवास करते रहे है व उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण व अन्य व्यक्ति उपरोक्त भूमि पर अपने–अपने खाम व पुख्ता मकान बनाकर काबिज रहकर निवास करते आ रहे हैं।
4. यह है कि वर्तमान में उपरोक्त आराजी में खसरा नम्बर 1623 में प्रार्थीण संख्या 1 लगायत 5 द्वारा अपनी कब्जेशुदा भूमि में काबिज रहकर उपयोग उपभोग कर पक्का मकान झोपडी टीनपोश स्थानघर तथा चारों तरफ बाड लगाकर निवास करते आ रहे है व खसरा नम्बर 1437 में प्रार्थी संख्या 6 ने पुख्ता मकान ईटों का व एक ईटों का छप्पर पोस मकान 6 वर्ष पहले इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बना रखा है। प्रार्थी संख्या 7 ने अपने पुख्ता कमरें व चारों तरफ पुख्ता चार दीवारी व प्रार्थी संख्या 8 ने 26 वर्ष से अपना छप्पर पौश ईटों का घर बनाकर व प्रार्थी संख्या 9 लगायत 11 ने अपने–अपने खाम छप्पर पौश घर बना रखे है व मध्य में भैरूजी का मंदिर बना हुआ है व उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि आबादी के उपयोग में काम आ रही है।
5. यह है कि उपरोक्त खसरा नम्बर 1623/1.06 है0 आबादी के उपयोग में आने से उक्त आराजी को ग्राम सभा के प्रस्ताव के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 10 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 121 के जरिये आबादी हेतु आरक्षित कर रखी है।
6. यह है कि उपरोक्त आराजी के मध्य में नरेगा के अन्तर्गत सम्पर्क ग्रेवल सडक नीझर से ग्राम बासडी गणेशपुरा का निर्माण स्वीकृत होकर सडक का निर्माण किया गया है। उक्त ग्रेवल सडक के पश्चिम में प्रार्थी संख्या 6 का मकान व पूर्व में अन्य प्रार्थीगण का पुख्ता मकान व खाम मकान बने हुए हैं, जिसमें प्रार्थीगण ने विद्युत सम्बन्ध ले रखे है।
7. यह है कि उपरोक्त भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 या उनके पूर्वज मृत्क लक्ष्मीनारायण का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है ना ही उक्त भूमि पर लक्ष्मीनारायण को कभी काश्त की है ना ही कभी कब्जा रहा है।
8. यह है कि अप्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से साजकर व बिना किसी अधिकार के व बिना किसी कब्जे के विरूद्व तथाकथित गलत एवं गैर कानूनी आवंटन के आधार पर 34 वर्ष पश्चात् प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में प्रार्थीगण की बिना जानकारी अपने नाम गैर खातेदारी नामान्तरकरण विधि विरूद्व तरीके से कराया है।
9. यह है कि आवंट सम्बन्धी नियम 7 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकरी के द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवटंन हेतु प्रपत्र–2 में कोई उदघोषणा जारी नहीं की तथा ना ही अन्य प्रावधानों की पूर्ती की है तथा ना ही आवंटी आवंटन के लिए पात्र था ।
10. यह है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 13(4) के अन्तर्गत भू–आवंटन उस ग्राम में किया जाता है जहां प्रस्तावित भूमि है। उक्त नियम की भी पालना नहीं की गयी।
11. यह है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1622/1.46, 1623/1.06 वाके ग्राम नीझर में आबादी बसी होने तथा आबादी के नजदीक होने एवं आबादी के विस्तार हेतु भूमि की आवश्यकता होने के कारण सार्वजनिक हित के उद्देश्यों की पूर्ती के लिए श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, के द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए आबादी हेतु आरक्षित किया गया है, जिसका नामान्तरकरण संख्या 121 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया एवं इस कारण से भी प्रश्नगत आवंटन निरस्त किये जाने लायक है।
12. यह है कि हाल खसरा नम्बर 1621, 1622, 1623 वाके ग्राम नीझर तहसील शाहपुरा के सम्बन्ध में आबादी के लिए कोई जगह नहीं होने तथा आबादी में रूपान्तरण करवाने हेतु 15/8/2000 को प्रस्ताव संख्या 27 तथा दिनांक 02/10/2000 को प्रस्ताव संख्या 11 व दिनांक 15/8/2001 को प्रस्ताव संख्या 22 ग्राम सभा द्वारा पारित किया गया है।
13. यह है कि प्रश्नगत भूमि को आवंटी द्वारा या अप्रार्थीगण के द्वारा आवंटन की शर्तों के अनुसार आवंटन के प्रथम वर्ष में भूमि कम से कम 50 प्रतिशत भाग को नहीं जोती है एव ना ही शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में बोई है तथा आवंटी या अप्रार्थीगण का प्रश्नगत भूमि या इसके किसी भी भाग पर कभी कोई कब्जा काश्त सम्बन्ध नही रहा है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner

14.यह है कि इस प्रकार प्रश्नगत एवं आवंटन कपट पूर्वक प्राप्त किया गया है तथा विधि विरूद्व किया गया है तथा आवंटी या अप्रार्थीगण ने आवंटन की शर्तों की पालना नहीं कर उनका उल्लंघन किया है।

15.यह है कि दिनांक 10/2/2014 को अप्रार्थीगण् संख्या 1 लगायत 9 प्रश्नतगत भूमि पर आये। प्रार्थीगण को उक्त भूमि से जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करने एवं राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं के नाम खातेदारी दर्ज होने तथा किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरण कर राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन कराने की स्पष्ट धमकी दी तब सम्बन्धित राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजात् प्राप्त कर नकल निकलवाने पर अप्रार्थीगण के पिता व पति मृत्क लक्ष्मीनारायण को आवंटन होने की जानकारी हुयी इससे पूर्व प्रार्थीगण को आवंटन होने की जानकारी नहीं थी इसलिए प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण् के पूर्वज लक्ष्मीनारायण दर्जी के पक्ष में हुआ आवंटन दिनांक 28/01/79 बाबत साबिक खसरा नम्बर 666/1 रकबा 8 बीघा वाके ग्राम गोविन्दपुरा घाबाई जिसके हाल खसरा नम्बर 1437/1.22, 1623/1.06 वाके ग्राम निझर बनाये गये है, जो निरस्त कर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के नाम दर्ज खातेदारी खसरा नम्बर 1437/1.22 व 1623/1/0.80 अपास्त कर राजस्व रिकॉर्ड में हाल खसरा नम्बर 1437/1.22 है0 सिवायचक एवं हाल खसरा नम्बर 1623 निवास या बस्ती में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

16.प्रार्थीगण् द्वारा जरिये वकील प्रार्थना–पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी, रिपोर्ट समात पाये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण् को जरिये सम्मन नोटिस जारी कर तल्बी करायी गयी । अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुनिल कुमार शुक्ला एडवोकेट उपस्थित आये। अप्रार्थीगण की ओर से 09/01/2015 को जवाब पेश हुआ जो संलग्न पत्रावली है।

17.प्रकरण में प्रार्थी संख्या 1 रामजीलाल की ओर से प्रार्थना–पत्र आदेश 26 नियम 9 व आदेश 39 नियम 7 सी.पी.सी का पेश हुआ, जिसको बाद सुनवायी कर उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांक 05/7/2019 को खारिज फरमाये गये।

18. वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी का कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 666/1 रकबा 8 बीघा ग्राम गोविन्दपुरा घाबाई तहसील शाहपुरा जिसके हाल सैटलमेन्ट कार्यवाही में हाल खसरा नम्बर 1437/1.22 है. , 1623/1.06 है. कुल किता 2 रकबा 2.28 है0 निर्धारित किये गये है, जो नवीन ग्राम नीझर तहसील शाहपुरा स्थित है। अप्रार्थीगण उनके पिता व पति लक्ष्मीनारायण को आ.ख.नं. 666 वाके ग्राम गोविन्दपुरा घाबाई की भूमि में 8 बीघा भूमि दिनांक 28/01/79 को आवंटन गलत तरिके से आवंटन करा ली जिसका आवंटित भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा ना ही अप्रार्थीगण का कब्जा है उक्त गलत आवंटन के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 द्वारा हाल खसरा नम्बर 1437/1.22 सम्पूर्ण व 1623/1.02 में से 0.80 है0 कुल किता 2 रकबा 2.02 है0 ग्राम नीझर तहसील शाहपुरा का गैर खातेदारी नामान्तरकरण संख्या 241 दिनांक 10/4/2013 अपने नाम दर्ज करवा लिया, जबकि प्रार्थीगण् के पूर्वज काफी समय से अपने खाम घर झोपडी बनाकर निवास करते रहे है तथा उनकी मृत्यु उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा काबिज रहकर पुख्ता मकान बनाकर निवास करते आ रहे हैं। ख.नं. 1437 में ही भैरूजी का मंदिर बना हुआ है। ख.नं. 1623/1.06 है0 आबादी के उपयोग में आने से उक्त आराजी को ग्राम सभा के प्रस्ताव के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 121 के जरिये आबादी हेतु आरक्षित कर रखी है तथा उक्त आराजी के मध्य ग्रेवल सडक का निर्माण किया गया है। उक्त भूमि पर लक्ष्मीनारायण तथा लक्ष्मीनारायण के वारिसान् द्वारा उक्त भूमि को कभी काश्त नहीं की है ना ही कब्जा रहा है तथा कथित एवं गैर कानूनी आवंटन के आधार पर 34 वर्ष पश्चात् प्रशासन गांवों के संग अभियान में 2013 में प्रार्थी की बिना जानकारी अपनाये गैर खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 13(4) के अन्तर्गत भू–आवंटन उ ग्राम में किया जाता है जहां प्रस्तावित भूमि है। उक्त नियम की पालना नहीं कर आवंटन हेतु प्रपत्र–2 की उद्घोषणा जारी नहीं की। हाल आराजी ख.नं. 1622/1.46, 1623/1.06 वाके ग्राम नीझर में आबादी बसी होने, आबादी नजदीक होने एवं आबादी विस्तार हेतु भूमि की आवश्यकता होने के कारण सार्जनिक हित की पूर्ती के लिए श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय जयपुर के द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना करते हुए आबादी हेतु आरक्षित किया गया है, जिसका नामान्तरकरण 121 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ख.नं. 1621, 1622, 1623 वाके ग्राम नीझर तहसील शाहपुरा के सम्बन्ध में आबादी में रूपान्तरण करवाने हेतु 15/8/2000 को प्रस्ताव संख्या 27 तथा दिनांक 02/10/2000 को प्रस्ताव संख्या 11 व दिनांक 15/8/2001 को प्रस्ताव संख्या 22 ग्राम सभा द्वारा पारित किया गया है। दिनांक 10/2/2014 को अप्रार्थीगण् संख्या 1 लगायत 9 प्रश्नगत भूमि पर आये तथा प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने की कब्जा करने की एवं स्वयं के नाम खातेदारी दर्ज होने पर अन्य व्यक्ति को अन्तरण कर राजस्व रिकॉर्ड में

प्रति. जिला कलेक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner

परिवर्तन कराने की स्पष्ट धमकी दी गयी इसके उपरान्त आवश्यक दस्तावेजात् प्रा॰ कर नकल प्राप्त करने से अप्रार्थीगण के प्रति एवं पिता लक्ष्मीनारायण को उक्त भूमि आवंटन होने की जानकारी प्राप्त हुयी । इससे पूर्व प्रार्थीगण को आवंटन होने की जानकारी नहीं थी। इसलिए प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के पूर्वज लक्ष्मीनारायण दर्जी के पक्ष में दिनांक 28/01/79 को साबिक ख.नं. 666/1 रकबा 8 बीघा वाके ग्राम गोवन्दिपुरा धाबाई जिसके हाल खसरा नम्बर 1437/1.22 व 1623/1.06 वाके ग्राम नीझर बनाये गये है आवंटन हुयी है। उसे निरस्त फरमावें तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 के नाम दर्ज गैर खातेदारी ख.नं. 1437/1.22 व 1623/1/0.80 अपास्त कर ख.नं. 1437 को सिवायचक एवं ख.नं. 1623 को आबादी निवास बस्ती में दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

19. वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 की ओर से अपनी बहस में प्रस्तुत किया गया जवाब को दौहराते हुये अभिकथन किया गया कि आराजी ख.नं. 666 रकबा 8 बीघा ग्राम गोविन्दपुरा धाबाई तहसील शाहपुरा जयपुर जिसके हाल सैटलमेन्ट कार्यवाही से ख.नं. 1437/1.22, 1623/1.06 कुल किता 2 रकबा 2.28 है0 नवीन ग्राम नीझर तहसील शाहपुरा में स्थित होना निर्धारित किया है। लक्ष्मीनारायण पुत्र मांगीलाल दर्जी गरीब भूमिहीन को ख.नं. 666 ग्राम गोवन्दिपुरा धाबाई की 8 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 28/01/79 को अप्रार्थीगण् के पुवर्ज लक्ष्मीनारायण को विधिवत हुआ था। आवंटन के समय से ही लक्ष्मीनारायण एवं उसके परिवार का कब्जा एवं उपयोग उपभोग रहा है। आवंटी लक्ष्मीनारायण की मृत्यु पश्चात् अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 का कब्जा है एवं उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त आवंटन के आधार पर हाल ख.नं. 1437/1.22 है0 सम्पूर्ण एवं 1623/1.06 में से 0.80 है0 कुल किता 2 रकबा 2.02 ग्राम नीझर में जरिये नामान्तरकरण गैर खातेदारी अप्रार्थी ख्या 1 लगायत 9 के नाम कानून सही खोला गया है जबकि प्रार्थीगण का उक्त आराजी से किसी प्रकार का लेना–देना व सम्बन्ध नहीं है। उक्त भूमि पर कभी भी झोपडी खाम घर बनाकर नहीं रहे हैं। उक्त आवंटित भूमि को प्रार्थीगण जबरन हडपना चाहते है। खसरा नम्बर 1623/1.06 आबादी के उपयोग में प्रार्थीगण द्वारा बताया है वह गलत तथ्य पेश किये है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा पारित निर्णय आदेश दिनांक 11/02/2013 के पश्चात् अब खसरा नम्बर 1623 की केवल 0.26 है0 भूमि ही आबादी हेतु है। शेष भूमि ख.नं. 1623 की 0.80 है0 भूमि अप्रार्थीगण् की गैर खातेदारी भूमि है। आवंटी लक्ष्मीनारायण दिनांक 28/01/79 को आवंटन हुयी थी किन्तु तत्कालीन राजस्व अधिकारियें द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं की गयी उक्त बाबत जानकारी होने पर पुष्पा देवी आवंटी की पत्नि द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के समक्ष इस्तकरारहक घोषणा खातेदारी हेतु प्रकरण रखा था जिस पर सुनवायी कर उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में विधिवत तरिके से सुनवायी कर रिपोर्ट प्राप्त कर पुष्पा देवी अप्रार्थीगण संख्या 1 के पक्ष में निर्णय पारित किया था उक्त कार्यवाही विधिक तौर पर की जाकर ख.नं. 1623/1.06 है0 भूमि में से 0.80 है0 भूमि लक्ष्मीनारायण के वारिसान् पुष्पा देवी वगैरह की गैर खातेदारी पें दर्ज करने के आदेश दिये एवं शेष भूमि 0.26 है0 को आबादी हेतु रखा है। ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा धाबाई ने प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में कैम्प प्रभारी को लिखित में दिया है कि '' ग्राम नीझर में आराजी ख.नं. 1623 रकबा 1.06 है0 में कुछ व्यक्तियों की आबादी बसी हुयी है। आबादी क्षेत्र को छोडकर किसी को आवंटन/नियम्मन की जाती है तो ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा धाबाई को कोई आपत्ति नहीं है।'' गैर खातेदारी दर्ज होने पर ख.नं. 1623 रकबा 0.80 है0 पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 काबिज रहकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं एवं कृषि कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार प्रश्नगत आवंटन विधि पूर्वक समस्त प्रतियां अपनाये जाने के उपरान्त हुआ है। आवंटी एवं आवंटी के वारिसान द्वारा आवंटन की सभी शर्तों का पालन किया है एवं किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया है। उक्त आवंटन बाबत प्रार्थीगण को शुरू से ही जानकारी है। उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी लक्ष्मीनारायण का ही कब्जा रहा है इसकी समस्त ग्रामवासियों को भलीभांति जानकारी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र गलत तथ्यों एवं मनगढन्त आधारों पर पेश किया गया जो चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थीगण के नाम ख.नं. 1437 रकबा 1.22 है0 एवं ख.नं. 1623/1 रकबा 0.80 है0 भूमि वाके ग्राम नीझर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है, को अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

20. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् साक्ष्य एवं सबूतों का अवलोकन एवं अध्ययन कर पाया कि अप्रार्थीगण् के पति एवं पिता लक्ष्मीनारायण दिनांक 28/01/79 को ग्राम गोविन्दपुरा धाबाई के साबिक खसरा नम्बर 666 में आठ बीघा आवंटन हुयी थी, जिसमें हाल खसरा नम्बर 1437/1.22 है0, 1623/1.06 है0 रकबा 2.28 है0 वाके ग्राम नीझर बनाये गये है। वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में अभिकथन

...जिला कलक्टर
...(जयपुर)

किया है कि उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 28/01/79 को गलत तरीके से आवंटन करा ली जबकि आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा । गलत आवंटन के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 द्वारा हाल खसरा नम्बर 1437/1.22 है0 सम्पूर्ण व 1623/1.06 में से 0.80 है0 भूमि कुल किता 2 रकबा 2.02 है0 ग्राम नीझर तहसील शाहपुरा का गैर खातेदारी नामान्तरकरण संख्या 241 दिनांक 10/4/2013 अपने नाम दर्ज करा लिया जबकि प्रार्थीगण के पूर्वज काभी समय से अपने खाम घर झोपडी बनाकर निवास करते रहे है तथा उनकी मृत्यु पश्चात् प्रार्थीगण काबिज रहकर पुख्ता मकान बनाकर निवास करते आ रहे है। उक्त भूमि को ग्राम सभा प्रस्ताव के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 121 के जरिये आबादी भूमि हेतु आरक्षित कर रखी है, जो गैर कानूनी आवंटन के आधार पर 34 वर्ष पश्चात् प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में अप्रार्थीगण के नाम बिना विधिक प्रकिया अपनाये गैर खातेदारी दर्ज कर दी हाल खसरा नम्बर 1622/1.46, 1623/1.06 वाके ग्राम नीझर में आबादी बसी होने आबादी नजदीक होने एवं आबादी विस्तार हेतु भूमि की आवश्यकता होने के कारण सार्वजनिक हित के लिए श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के द्वारा सम्पूर्ण प्रकिया की पालना करते हुए आबादी हेतु आरक्षित किया है, जिसका नामान्तरकरण 121 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम नीझर के ख.नं. 1621, 1622, 1623 के सम्बन्ध में आबादी भूमि रूपान्तरण करवाने के लिए प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित किये है। इस प्रकार आबादी की भूमि पर अप्रार्थीगण को गैर खातेदारी दर्ज हुयी है। वह विधि के प्राकृति सिद्वान्तों के विपरीत है। आवंटी तथा अप्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा है इसलिए अप्रार्थीगण के पूर्वज लक्ष्मीनारायण दर्जी के पक्ष में दिनांक 28/01/79 को साबिक खसरा नम्बर 666/1 रकबा 8 बीघा वाके ग्राम गोविन्दपुरा धाबाई जिसके हाल खसरा नम्बर 1437/1.22, 1623/1.06 वाके ग्राम नीझर बनाये गये है आवंटन हुयी है उसे निरस्त फरमावें। वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुये वकील अप्रार्थी का कथन है कि आ.ख. नं. 666 रकबा 8 बीघा ग्राम गोविन्दपुरा धाबाई तहसील शाहपुरा जिसके हाल सैटलमैन्ट कार्यवाही में ख.नं. 1437/1.22 व 1623/1.06 कुल किता 2 रकबा 2.28 है0 नवीन ग्राम नीझर तहसील शाहपुरा में स्थित होना निर्धारित किया है। लक्ष्मीनायण पुत्र मांगीलाल अप्रार्थीगण के पति व पिता को ग्राम गोविन्दपुरा धाबाई के ख.नं. 666 में 8 बीघा भूमि का आवटन दिनांक 28/01/79 को विधिवत हुआ था। आवंटन होने के पश्चात् से ही उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त कर उपयोग उपभोग आवंटी एवं आवंटी के पश्चात् करते आ रहे है। उक्त आवंटन के आधार पर ही अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 हक में जरिये नामा.संख्या 241 दिनांक 10/4/2013 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो चुका है। उक्त नामा. गैर खातेदारी का उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा प्रकरण संख्या 231/2013 बउनवान पुष्पा देवी बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय 11/2/2013 की पालना में खोला गया है। ख.नं. 1623/1.06 आबादी के उपयोग में प्रार्थीगण द्वारा बताया गया है वह गलत बताया गया है उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा पारित आदेश में ख.नं. 1623 में 0.26 है0 भूमि ही आबादी हेतु है। वकील प्रार्थी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 121 स्वीकृत द्वारा 13/8/2002 ख.नं. 1622, 1623 सिवायचक से आबादी भूमि का श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, जयपुर के आदेशों से खोला जाना बताया है, जबकि उक्त नामान्तरकरण संख्या 121 उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के आदेशों से खुला है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि से कोई लेना–देना नहीं रहा है ना ही उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का वर्तमान में कब्जा है। गलत तथ्यों एवं मनगढण्त आधारों से आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना–पत्र पेश कर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 के नाम दर्ज गैर खातेदारी खसरा संख्या 1437/1.22 व 1623/1/0.80 है0 को अपासत करने का पेश किया है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें। चूँकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 231/2013 बउनवान पुष्पा देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण दर्जी बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार प्रशासन गांवों के संग अभियान में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को निस्तारण करते हुये दिनांक 11/12/2013 को इस प्रकार निर्णय पारित किया कि प्रार्थीया के पति स्व. लक्ष्मीनारायण दर्जी पुत्र मांगीलाल दर्जी के नाम साबिक खसरा नम्बर 666 वाके ग्राम गोवन्दिपुरा धाबाई में 8 बीघा जमीन 28/01/79 को आवंटन हुयी थी, लेकिन तत्कालीन अधिकारियों द्वारा आवंटन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं किया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट ली गयी मुताबिक रिपोर्ट आवंटित साबिक खसरा नम्बर 666 के हाल खसरा नम्बरों के अतिरिक्त ख.नं. 1437/1.22 है0 व ख.नं. 1623/1.06 है0 हाल भू–प्रबन्ध में बने है जिसमें आवंटी का परिवार काबिज चला आ रहा है परन्तु इसी दौरान ख.नं. 1623/1.06 है0 आबादी दर्ज हो गया। ग्राम पंचायत द्वारा कब्जेशुदा भूमि की हद तक आपत्ति पेश करने पर ख.नं. 1623/1.06 है0 में से 0.80 है0 को पुनः सिवायचक गैर खातेदारी दर्ज किया जाना उचित बताया है। प्रकरण को

Scanned with CamScanner

लोक अदालत की भावना से प्रार्थीया के हक में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को निर्देश दिये गये कि हाल ख.नं. 1623/1.06 है0 में से 0.80 है0 (आबादी बसी हुयी 0.26 है0 भूमि को छोडकर) एवं ख.नं. 1437/1.22 है0 सम्पूर्ण कुल किता 2 रकबा 2.02 है0 वाके ग्राम नीझर तहसील शाहपुरा का आवंटी लक्ष्मीनारायण पुत्र मांगीलाल दर्जी सा. देह के जीवित वारिसान् श्रीमती पुष्पा देवी स्व. लक्ष्मीनारायण दर्जी व अन्य वारिसान् की जांच कर उनके राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदारी अंकित करें एवं ख.नं. 1623 में से 0.80 है0 की मौके अनुसार जाँच कर नक्शा में तरमीम करें। शेष इन्द्राज यथावत रहने के आदेश दिनांक 11/2/2013 को पारित हुए है। उक्त आदेश की पालना में अप्रार्थीगण् के नाम गैर खातेदारी का नामा. संख्या 241 वाके ग्राम नीझर दर्ज हुआ है। वर्तमान में ग्राम नीझर की भूमि ख.नं. 1437 रकबा 1.22 किस्म बंजड दो व ख.नं. 1632/1 रकबा 0.80 बारानी 3 अशोक जितेन्द्र हेमराज पुत्रान् लक्ष्मीनारायण कृपा देवी टिंकू देवी दीपा देवी मीना देवी रंजन देवी पुत्रियां लक्ष्मीनारायण पुष्पा देवी पत्नि लक्ष्मीनारायण सा. देह गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है तथा ख.नं. 1623/2 ग्राम नीझर का रकबा 0.26 है0 गैर आबादी सम्वत 2074–77 में दर्ज रिकॉर्ड है।

उक्त खसरा नम्बर 1623/2 रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम नीझर में ग्राम पंचायत द्वारा आबादी बसी होना बताया है 0.26 है0 रकबा को छोडकर उक्त खसरा नम्बर में से 0.80 है0 भूमि अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी दर्ज हुयी है। इसलिए अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी भूमि ख.नं. 1437/1.22 ख.नं. 1623/1 रकबा 0.80 खारिज नहीं की जा सकती अप्रार्थीगण के पति व पिता लक्ष्मीनारायण को किया गया आवंटन को गैर कानूनी एवं गलत नहीं ठहराया जा सकता इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र बिना आधार के मनगढन्त एवं कानून के विपरीत पेश किया है, जिसे खारिज किया जाना विधि सम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

21. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 गलत तंथ्यों के आधार पर पेश किया है जो आधारहीन एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार शाहपुरा को आदेश दिये जाते है कि आ.ख.नं. 1437/1.22 है0 व ख.नं. 1623/1 रकबा 0.80 है0 वाके ग्राम नीझर तहसील शाहपुरा अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है उसे गैर खातेदारी से खातेदारी का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पालना सुनिश्चित् हों। उक्त आशय की प्रति तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर को तहरीर के साथ भिजवायी जावें।

22. यह निर्णय आज दिनांक 25.1.20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)